'सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी मैथिली'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 8वीं से 12वीं कक्षा तक मैथिली भाषा वैकल्पिक विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को यह जानकारी दी। दिल्ली सरकार भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह भी केंद्र से करेगी।

उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने बताया कि अभी जिस तरह से उर्दू भाषा स्कूलों में पढ़ाई जाती है उसी तरह अब मैथिली भी पढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए भी मैथिली विषय की कोचिंग उपलब्ध कराएगी। इतना ही नहीं कम्प्यूटर सीखने के लिए अब मैथिली का कम्प्यूटर लिपि भी बनवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मैथिली और भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार पुरस्कार भी शुरू करेगी। इस योजना के तहत कुल 12 पुरस्कार दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब मैथिली–भोजपुरी उत्सव दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध जगह कनॉट प्लेस में मनाया जाएगा। यह पूरे पांच दिनों तक चलेगा।

मैथिली और भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए दिए जाएंगे पुरस्कार

सिसोदिया ने कहा कि चुंकि भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल नहीं किया गया है, लिहाजा अभी भोजपुरी भाषा सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा सकेगी। हालांकि दिल्ली सरकार भोजपुरी को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह करेगी। विश्व भोजपुरी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दिल्ली मैथिली–भोजपुरी अकादमी के पूर्व उपाध्यक्ष अजीत दूबे ने दिल्ली सरकार का आभार प्रकट करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि भोजुपरी भाषा को अविलंब संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए।

सफाईकर्मियों को मुफ्त सुरक्षा किट देगी सरकार : केजरीवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में सफाईकर्मियों को निशुल्क सुरक्षा किट मुहैया कराएगी।

तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली जल बोर्ड की ओर से आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सफाईकर्मियों की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुख होता है। इस व्यवस्था को किसी तरह खत्म करना है। उन्होंने कहा कि हम सफाईकर्मियों की जिंदगी को लेकर चिंतित हैं और दिल्ली में काम करने वाले सफाईकर्मियों को निशुल्क सुरक्षा किट मुहैया कराए जाएंगे ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले, दिल्ली में सिर्फ 50 फीसदी सीवर लाइनें थीं और हमारे कार्यकाल में यह बढ़कर 80 फीसदी हो गई हैं। करीब 4000 सफाईकर्मियों ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस मौके पर दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष दिनेश मोहनिया ने कहा कि हमने सफाईकर्मियों का कौशल बढ़ाने और उन्हें सुरक्षा किट के इस्तेमाल को लेकर जागरुक बनाने के लिए एक दिन की कार्यशाला का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड से करीब 12000 सफाईकर्मी जुड़े हैं।

सफाईकर्मियों की मौत की खबर से बहुत दुख होता है : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों को एक शपथ भी दिलवाई। सभी ने शपथ ली कि कोई भी सफाई कर्मचारी बिना पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के सीवर में नहीं उतरेगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में देखा जाता है कि जब भी किसी शहर का विकास होता है तो प्रशासन उस विकास में गरीब जनता को भूल जाता है। हमारी कोशिश है कि हमारी दिल्ली का विकास सबको साथ लेकर हो। केजरीवाल ने कहा कि देश के अलग–अलग क्षेत्रों से दिल्ली में लोग काम की तलाश में आते हैं और यहीं बस जाते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबादी दिन पर दिन तेजी से बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है उसी रफ्तार से लोगों के लिए बिजली, पानी, सड़क नालियां, सीवर आदि की सुविधाओं का भी इंतजाम किया जा रहा है।

जेएनयू के सुरक्षाकर्मी मीणा अब रूसी भाषा की कक्षा में दिखेंगे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

जेएनयू में तैनात एक सुरक्षाकर्मी रामजल मीणा ने प्रवेश परीक्षा पास कर बीए रूसी भाषा पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है। अब वह बतौर विद्यार्थी जेएनयू में पढ़ाई करेंगे।

राजस्थान के करौली जिले के रहने वाले 33 साल के रामजल मीणा ने पहले प्रयास में ही जेएनयू की प्रवेश परीक्षा पास की है। एक निजी कंपनी में काम करने वाले रामजल 2014 से यहां सुरक्षाकर्मी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 2002 में 12वीं पास की थी। रामजल ने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बीए किया है। वह राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि पढ़ाई करने का मुख्य उद्देश्य यूपीएससी परीक्षा पास करना है। उनके तीन बच्चे हैं, जिसमें से सबसे बड़ी बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ती है।

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, हमारे क्लाइंट मैसर्स मुथूट फाईनान्स लि. द्वारा **26th July 2019** को (बंधक आभूषणों की–एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है और अब **17th September 2019** को सार्वजनिक नीलामी पुनः निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्ज़दारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट
ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडीः auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

प्रपत्र सं. आईएनसी–25 ए
सार्वजनिक कम्पनी का प्राईवेट कम्पनी में रूपांतरण के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में तथा
मै. विनेय सोलर पावर लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय
सी–12/18, भूतल, सेक्टर–3, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 में है, आवेदक के मामले में

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिये 01 जुलाई, 2019 को आयोजित वार्षिक साधारण सभा/असाधारण आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिये इच्छुक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

पंजी. कार्या.:
सी–12/18, भूतल, सेक्टर–3, रोहिणी, नई दिल्ली–110085

कृते एवं के लिए
विनेय सोलर पावर लिमिटेड
हस्ता./–
राकेश कुमार अग्रवाल
निदेशक
DIN: 00248752

तिथिः 11.07.2019
स्थानः दिल्ली

न्यूक्लियस सॉफ़्टवेयर एक्सपोर्टस लिमिटेड
NUCLEUS SOFTWARE
सीआईएन : L74899DL1989PLC034594
पंजीकृत कार्यालयः 33–35, त्यागराज नगर मार्केट, नई दिल्ली–110003
फोन : +91-120-4031400; फैक्स: +91-120-4031672
ईमेल : investorrelations@nucleussoftware.com
वेबसाइट : www.nucleussoftware.com

सूचना

सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, 2015 की नियमावली 29 एवं 47 के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 23 जुलाई 2019 को दिल्ली/एनसीआर में:

क) 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के अंकेक्षित एकल वित्तीय परिणामों;

ख) 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के अनअंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन हेतु आयोजित की जाएगी।

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित वित्तीय परिणाम मंगलवार, 23 जुलाई 2019 को मंडल की बैठक की समाप्ति के उपरान्त घोषित किया जाएगा।

इस सूचना में निहित जानकारी कम्पनी की वेबसाइट (http://www.nucleussoftware.com/investors) एवं स्टॉक एक्सचेंजो (www.bseindia.com एव www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध हैं।

कृते **न्यूक्लियस सॉफ़्टवेयर एक्सपोर्टस लिमिटेड**
हस्ता./–
दिनांक : 15 जुलाई, 2019 पूनम भसीन
स्थान : नोएडा कम्पनी सचिव

CITY ACADEMY LAW COLLEGE
Tiwariganj, Chinhat, Lucknow
REQUIRED PRINCIPAL
Qualification, Experience & Percentage as per State Govt. & Lucknow University Norms. Applicants should apply within 15 day to Manager, City Academy Law College, Tiwariganj, Chinhat, Lucknow.
E - mail :info@cgclko.com

वैभव ग्लोबल लिमिटेड
CIN: L36911RJ1989PLC004945; पंजीकृत कार्यालय- के-6वी, फतेह टीबा, आदर्श नगर, जयपुर-302004; फोन: 91-141-2601020; फैक्स : 91-141-2605077;
ई-मेल : investor_relations@vaibhavglobal.com; वेबसाइट : www.vaibhavglobal.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मण्डल (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 (1)(ए) के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में, कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक मंगलवार, दिनांक 30 जुलाई, 2019 को आयोजित की जायेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं स्वीकृत किया जायेगा।

यह जानकारी कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.vaibhavglobal.com और स्टॉक एक्सचेज की वेबसाईट अर्थात् www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते वैभव ग्लोबल लिमिटेड
हस्ताक्षर
स्थान : जयपुर सुशील शर्मा (कंपनी सचिव)
दिनांक : 15 जुलाई, 2019 FCS: 6535

पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक !
शाखा कार्यालय : मॉडल टाऊन रोहतक,
फोन : 9053084427, Mail : bo3341@pnb.co.in

कब्ज़ा सूचना (अचल सम्पत्तियों हेतु)

वित्तीय परिसम्पत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित) के तहत पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने ऋणी/बन्धककर्ता **श्री संजय अहुजा मैसर्ज निर्मल मैडिकोज** को दिनांक **01.04.2019** को मांग नोटिस जारी किया जिसमे नोटिस की तिथि से 60 के दिन के अन्दर नोटिस में वर्णित राशि के पुनर्भुगतान की मांग की।

ऋणी द्वारा पुनर्भुगतान न करने पर, आम जनता व ऋणी को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 तथा सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का दिनांक **10.07.2019** को कब्ज़ा ले लिया है।

सुरक्षित सम्पत्तियों को मुक्त कराने हेतु उपलब्ध स मय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर ऋणी/गारंटर/बन्धककर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

एतद द्वारा ऋणी को विशेष रूप से व आम जनता को सामान्यता से सावधान किया जाता है कि निम्न सम्पत्ति के साथ कोई भी व्यवहार न करें, सम्पत्ति के साथ कोई भी व्यवहार पंजाब नेशनल बैंक को निम्न वर्णित देय राशि, ब्याज व अन्य खर्चे सहित राशि के प्रभार के अधिन होगा।

बंधक संपत्ति का विवरण	बकाया राशि
कुल सम्पत्ति का वह हिस्सा जोकि फ्लैट नं./प्लॉट नं. 2481, सैक्टर–1 हुडा, रोहतक मे स्थित है जिसका सेल डीड नं. 998, बही नं. 1 खंड नं 734 पेज नं. 202 दिनांक 08-05-2006 है।	रु. 12775086.60 + 01.04.2019 के आगे का ब्याज व अन्य खर्चे।

दिनांकः 15.07.2019 स्थानः रोहतक प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, हमारे क्लाइंट मैसर्स मुथूट फाईनान्स लि. द्वारा **19th & 29th July 2019** को (बंधक आभूषणों की–एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है और अब **13th & 19th September 2019** को सार्वजनिक नीलामी पुनः निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्ज़दारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट
ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडीः auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

कार्यालय वसूली अधिकारी–II, ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बिक्री की उद्घोषणा

आर.सी. नं. 329/2015 दिनांक 06.06.2019

बैंक एवं वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 को देय ऋणों की वसूली के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अंतर्गत बिक्री की उद्घोषणा

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम श्री मोहम्मद करीम एवं अन्य

सेवा में, (सीडी–1) श्री मोहम्मद करीम पुत्र मोहम्मद मिनुद्दीन IX/4305, गली नं. 9, अजित नगर, गांधी नगर, दिल्ली–31
इसके साथः IX/4009, गली नं. 17, अजित नगर, गांधी नगर, दिल्ली–110031
(सीडी–2) श्रीमती साजिफा बेगम पत्नी श्री मोहम्मद करीम IX/4305, गली नं. 9, अजित नगर, गांधी नगर, दिल्ली–110031
इसके साथः IX/4009, गली नं. 17, अजित नगर, गांधी नगर, दिल्ली–110031
(सीडी–3) श्री मोहत्मद सलीम पुत्र श्री मोहम्मद करीम IX/4305, गली नं. 9, अजित नगर, गांधी नगर, दिल्ली–110031
इसके साथः IX/4009, गली नं. 17, अजित नगर, गांधी नगर, दिल्ली–110031
(सीडी–4) श्री योगेन्द्र शर्मा पुत्र श्री गोपी चन्द शर्मा, 4341, गली नं. 8, अजित नगर, गांधी नगर, दिल्ली–110031
इसके साथः मकान नं. 10/186, गीता कॉलोनी, दिल्ली–110031

चूंकि आप पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा जारी **ओ.ए. नं. 323/2014/डीआरटी–III, दिल्ली** में वसूली प्रमाणपत्र के संबंध में आपकी ओर बकाया राशि रु. 29,69,715/– (उनतीस लाख उनसत्तर हजार सात सौ पन्द्रह रुपए) और प्रमाणपत्र के अनुसार देय ब्याज एवं लागत का भुगतान करने में असफल रहे हैं। और चूंकि अधोहस्ताक्षरी ने कथित प्रमाणपत्र के आलोक में नीचे अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री करने का आदेश दिया है। आप सीडी नं. 1 से 4 के पास 12.05.2014 से उस पर लागत एव ब्याज के साथ **रु. 29,69,715/– (उनतीस लाख उनसत्तर हजार सात सौ पन्द्रह रुपए)** की राशि बकाया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आगे किसी भी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में नीचे वर्णित सम्पत्ति की **बिक्री 21.08.2019 को सायं 03:00 बजे** के बीच परिसम्पत्ति वसूली शाखा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, निकट पुलिस स्टेशन, करोल बाग, नई दिल्ली पर **कोर्ट ऑक्शनर श्री प्रदीप चौधरी, अधिवक्ता, मोबाइल नं. 9958277201** के माध्यम से की जाएगी। नीचे अनुसूची में विनिर्देशित सम्पत्ति के लॉट को बिक्री के लिए रखा जाएगा। यदि सम्पत्ति के किसी एक भाग की बिक्री पर राशि की वसूली हो जाती है तो नीलामी को तुरंत रोक दिया जाएगा। बिक्री को उस स्थिति में भी रोक दिया जाएगा यदि पुरा लॉट समाप्त हो जाता है, कथित प्रमाणपत्र में वर्णित बकाया राशि, ब्याज लागत (बिक्री की कीमत सहित) की अधिकारी द्वारा वसूली हो जाने का प्रमाण दिया जाता है और अधोहस्ताक्षरी के पास ऐसे प्रमाणपत्र में दर्ज बकाया राशि, ब्याज एवं लागत का भुगतान करने का प्रमाण सौप दिया जाता है। कोई भी अधिकारी या व्यक्ति जिसकी डयूटी बिक्री से जुड़ी है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री में भाग लेने का कोई प्रयास नहीं करेगा। बिक्री पर आम जनता को व्यक्तिगत या अपने अधिकृत एजेंट के माध्यम से बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। नीलामी बिक्री के समय भावी खरीददार द्वारा पैन कार्ड प्रस्तुत करना होगा। बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तों और इसके अधीन बनाए गये नियमों और आगे की शर्तों का पालन करते हुए की जाएगी। सम्पत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य और ईएमडी का विवरण निम्नानुसार है: अनुसूची में दिए गए विवरण अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध अधिकतम सूचना के आधार पर वर्णित किए गए हैं लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, मिथ्या विवरण या भूलचूक के लिए उत्तर देने का जिम्मेदार नहीं होगा।

नियम व शर्तें:

(1) सम्पत्ति **रु. 32.00 लाख (बत्तीस लाख रुपए मात्र)** से कम पर नहीं बेची जाएगी।
(2) बोली राशि **रु.50,000/– (पचास लाख रुपए मात्र)** से बढ़ायी जाएगी और बोलीदाता की ओर बोली राशि के रूप में किसी भी विवाद की स्थिति में को लॉट को पुनः नीलामी के लिए रखा जाएगा।
(3) सबसे ऊंची बोलीदाता को किसी भी लॉट का खरीददार घोषित किया जाएगा और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। अधोहस्ताक्षरी को यदि लगता है कि प्रस्तुत की गई बोली राशि कम है और यह राशि अनुचित है तो उसके पास ऊंची बोली को निरस्त करने/स्वीकार करने का अधिकार होगा।
(4) **ईएमडी राशि 3,20,000/– (तीन लाख बीस हजार रुपए मात्र) वसूली अधिकारी–II, ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के** द्वारा विनिर्देशित सम्पत्ति एवं लॉट की खरीद के लिए संबंधित सम्पत्ति की नीलामी प्रारंभ होने से पूर्व नीलामी साइट पर जमा करनी होगी। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर विचार नहीं किया **जाएगा।**
(5) ईएमडी जमा करते समय कथित ऑक्शनर के पास पैन कार्ड, पते का प्रमाण, ई–मेल आईडी, मोबाइल नं., और पैन कार्ड, कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा या कम्पनी के प्रतिनिधि/अटॉर्नी की पुष्टि करते एवं अन्य दस्तावेज/घोषणा पत्र आदि को जमा करना होगा।
(6) सफल बोलीदाता को बोली समाप्त होने के अगले बैंक कार्य दिवस को ईएमडी के समायोजन के पश्चात लगाई गई बोली **की 25 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी–2, ऋण वसूली अधिकरण–3, दिल्ली के नाम पर डीडी/पे आर्डर के रूप में 3.00 बजे तक** जमा करनी होगी।
(7) सफल खरीददार को सम्पत्ति की **बिक्री की शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री की तिथि से 15वें दिन को** या उससे पूर्व, ऐसे तिथि को छोड़कर, या यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश **पड़ता है** तो इसके बाद आने वाले पहले दिन उपरोक्त पैरा 4 में दर्शाए गए अनुसार निर्धारित प्रक्रिया में जमा करना होगा। उपरोक्त के अलावा, खरीददार को **रजिस्ट्रार, डीआरटी–III, दिल्ली** के पक्ष में देय डीडी के रूप में **रु. 1000/– तक 2 प्रतिशत की दर से** और **रु. 1000/– से अधिक राशि पर 1 प्रतिशत की दर** से **पाउंडेज शुल्क वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–III** के पास जमा करना होगा।
(8) यदि निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक होती है तो जमा की गई राशि, बिक्री के व्यय, जैसा अधोहस्ताक्षरी जैसा उचित समझे को सरकारी खाते में जब्त कर दिया जाएगा और चूककर्ता खरीददार जमा की गई राशि या सम्पत्ति के संबंध में कोई भी दावा नहीं कर पायेगा। सम्पत्ति को नई बिक्री उद्घोषणा जारी करने के बाद पुनः बिक्री के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा खरीददार अपनी अंतिम बोली राशि और बाद में अनुवर्ती बेची गई कीमत के बीच में कमी या अंतर के लिए भी जिम्मेदार होगा।
(9) वसूली अधिकारी किसी या सभी बोली, यदि वह अनुचित समझे तो उसे निरस्त करने या किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार रखते हैं।
(10) सम्पत्ति **"जैसा है जहां है एवं जो है जैसा है"** आधार पर बेची जाएगी।
(11) असफल बोलीदाताओं को अपने ईएमडी की वापसी के लिए आरसी पर सुनवाई की तिथि को या उससे पूर्व रजिस्ट्रार, डीआरटी–3 के पास पहचान प्रमाणपत्र के साथ एक आवेदन जमा करना है जिसे आरसी पर सुनवाई की तिथि/अनुवर्ती तिथि को वापिस कर दिया जाएगा।
(12) अधोहस्ताक्षरी किसी या सभी बोली, यदि वह अनुचित समझे तो उसे निरस्त करने या किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार रखते हैं।

लॉट	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी	कोर्ट ऑक्शनर का नाम
1.	सम्पत्ति यानि सम्पत्ति सं IX/4009, गली नं. 17, अजीत नगर, गांधी नगर, दिल्ली–110031, परिमाप 50 वर्ग यार्ड, दिल्ली–110031	रू.32.00 लाख रू.3.20 लाख	श्री प्रदीप चौधरी, अधिवक्ता मोबाइलः 9958277201

सम्पत्ति या इसके किसी भाग पर मूल्यांकित राजस्वः **उपलब्ध नहीं**
सम्पत्ति पर अधिभार बकाया, यदि कोई हो, का विवरणः **उपलब्ध नहीं**
दावें, यदि कोई हो, जो सम्पत्ति के साथ जुड़ें हैं और इसके प्रकार एवं मूल्य के अन्य कोई ज्ञात विवरणः **उपलब्ध नहीं**

आज 06 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ जारी कोर्ट की मोहर
(विकास जेटली)
वसूली अधिकारी–2, डीआरटी–3, दिल्ली

SOUTH INDIAN Bank
क्षेत्रीय कार्यालय : दिल्ली 1/18-20, व्हाइट हाउस, द्वितीय तल, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055 फोन : 011-23610400, Email: ro1008@sib.co.in CIN: L65191KL1929PLC001017

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 13 (2) के अधीन सूचना

सेवार्थ
1. **मैसर्स जे आर बिल्डवे कंस्ट्रक्शन्स (प्रा.) लि.**, पंजी. कार्यालय : फ्लैट नंबर 60सी, पाकेट–डी, एसएफएस फ्लैट, मयूर विहार फेज–3, नई दिल्ली–110096
2. **श्री ओम प्रकाश यादव** पुत्र राज मंगल यादव, निवासी सम्पत्ति सं. 9, ब्लॉक–ए, सेक्टर–72, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201301
3. **श्रीमती गीता देवी** पत्नी श्री ओम प्रकाश यादव, निवासी सम्पत्ति सं. 9, ब्लॉक–ए, सेक्टर–72, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201301

आपमें से प्रथम ने प्रधान ऋणप्राप्तकर्ता के रूप में **साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालय "एसआईबी हाउस", टीबी रोड, त्रिशूर–1 केरल में तथा इसका एक प्रादेशिक कार्यालय 1/18–20, द्वितीय तल, व्हाइट हाउस, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली–110055 में और इसकी एक शाखा **डोर नंबर जी–75बी, पार्श्वनाथ प्लाजा, सेक्टर–27, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर जिला, उत्तर प्रदेश–201301** में स्थित है, से क्रमशः **22–01–2015** को आवश्यक दस्तावेजों के निष्पादन द्वारा **मैसर्स जे आर बिल्डवे कंस्ट्रक्शन्स (प्रा.) लि.** के खाते में **रू. 8,50,00,000.00 (रू. आठ करोड़ पचास लाख मात्र)** की ओवरड्राफ्ट (कॉन्ट्रैक्टर्स) लिमिट का लाभ प्राप्त किया है तथा नीचे अनुसूचीबद्ध की गई आस्तियों (इसमें आगे प्रत्याभूत आस्तियों के रूप में वर्णित) द्वारा प्रत्याभूत है।

उक्त खाता/खाते **31–03–2019** को हमारे लेखा में गैर–निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और हमने **12–06–2019** को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना जारी की थी जिसमें **11–06–2019** तक बकाया **रू. 9,10,56,765.98** का भुगतान उस पर आगे ब्याज और लागतों सहित, सूचना प्राप्त होने की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। तथापि, जबकि आप सब उक्त सूचना प्राप्त करने से बच रहे हैं, यह सार्वजनिक सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के अनुसरण में जारी की जा रही है।

अतएव, आप से एतद्द्वारा इस सूचना द्वारा अपनी पूर्ण देयताओं का निष्पादन इस सूचना के 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, जिसमें विफल रहने पर, हम आगे और कोई सूचना दिए बिना, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन किसी भी या सभी अधिकारों के प्रयोग द्वारा नीचे अनुसूचीबद्ध की गई प्रत्याभूत आस्तियों के प्रवर्तन हेतु बाध्य होंगे।

आप आगे नोट करें कि अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार, आप पर हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना, उपरोक्त आस्तियों का निपटान करने अथवा कोई संव्यहार करने अथवा उपरोक्त किसी भी आस्ति की बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से (व्यवसाय के साधारण मार्ग से अलग) हस्तांतरण करने हेतु रोक/निषेधाज्ञा लगी है। कृपया नोट करें कि यह प्रकाशन साउथ इंडियन बैंक लि. को ऋणप्राप्तकर्ता और गारंटर/सह–अनुबंधकर्ता के विरूद्ध कानून के अनुसार उपलब्ध ऐसे अधिकारों तथा उपायों को प्रतिकूल प्रभावित नहीं करेगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

प्रत्याभूत आस्तियों की अनुसूची

अनुसूची "क"
कम्पनी (आप में से प्रेषिती सं. 1) की समग्र चालू आस्तियां (वर्तमान और भावी), सभी वर्तमान और भावी नीलामीयोग्य दावे तथा अन्य चल सम्पत्ति, जो भविष्य में उत्पन्न हो सकती है अथवा अस्तित्व में आ सकती है, जिसमें बही ऋण, डिक्रीज तथा डिक्रीटल डैट्स, प्राप्तियोग्य बकाया राशियों सहित, जो कम्पनी के फ्लैट नंबर 60सी, पाकेट–डी, एसएफएस फ्लैट, मयूर विहार फेज–3, नई दिल्ली–110096 अथवा डोर नंबर जी–75बी, पार्श्वनाथ प्लाजा, सेक्टर–27, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर जिला, उत्तर प्रदेश–201301 अथवा अन्यत्र स्थित परिसर अथवा गोदाम में इस समय रखा है अथवा प्रतिभूति के दौरान समय समय पर लाया जाएगा अथवा एक गोदाम से दूसरे गोदाम अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक मार्ग में होगा, का दृष्टिबंधन।

अनुसूची "ख"
आइटम नंबर 1 : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : कोंडली घड़ोली जिसे मयूर विहार–फेज–3, नई दिल्ली में स्थित मयूर विहार–फेज–3 के नाम से भी जाना जाता है, के ले आउट प्लान में स्थित फ्रीहोल्ड सम्पत्ति एलआईजी आवासीय फ्लैट नंबर 53सी, प्रथम तल, पाकेट ए–3, उसके ऊपर सभी निर्माण, सुधारों, उपभोग अधिकारों विद्यमान तथा उस पर अनुषंगियों सहित, जो श्रीमती गीता यादव (प्र